

फर्द अहकाम

(नियम 15)

खाहीज

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

गोविन्दराम

बनाम

रामकौरी आदि

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 111 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.03.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 29.04.2024 को पेश हो।	
29.4.2024	<p style="text-align: center;">आज</p> <p>वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश की गई। पत्रावली में निम्नलिखित बातें उल्लेखित हैं -</p> <p>1. पत्रावली में पत्रावली के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई है।</p> <p>2. पत्रावली में पत्रावली के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई है।</p> <p>3. पत्रावली में पत्रावली के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई है।</p>	
07.06.2024	<p>वकील वादी ने पत्रावली-पत्रावली पेश की है। पत्रावली के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई है। पत्रावली में पत्रावली के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई है। पत्रावली में पत्रावली के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई है।</p>	

